

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-27012026-269564
SG-DL-E-27012026-269564असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22]	दिल्ली, बुधवार, जनवरी 21, 2026/माघ 1, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 420
No. 22]	DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 21, 2026/MAGHA 1, 1947	[N. C. T. D. No. 420

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वन एवं वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली 21 जनवरी, 2026

सं. फ. 1 (55)/डीसीएफ (मुख्या0)/स्था0/आरआरडब्ल्यूएलआई/2018/14667.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0फा0 27/59—एचआईएम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में समस्त पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा वन एवं वन्य जीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में वन्यजीव निरीक्षक समूह “ख” पद (अराजपत्रित, अलिपिकीय) के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं:—

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :— (1) इन नियमों को वन एवं वन्य जीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में वन्यजीव निरीक्षक समूह “ख” पद (अराजपत्रित, अलिपिकीय) भर्ती नियमावली, 2025 कहा जायेगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर :— उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं इत्यादि:-** भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इनसे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (6) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता :-** ऐसा कोई भी व्यक्ति
- (i) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या
- (ii) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;
- शर्त यह है कि माननीय उपराज्यपाल यदि संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये वि'ष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।
5. **शिथिल करने की शक्ति :-**जहां माननीय उपराज्यपाल का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी के सम्बंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकती है।
6. **बचाव:-** इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	वन्यजीव निरीक्षक
2.	पदों की संख्या	:	09 (2025) (इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है)
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	पे बैंड एवं ग्रेड पे/ वेतनमान	:	सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6, (35,400-1,12,400/-रुपये)
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिलनीय। आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि डीएसएसएसबी द्वारा यथानिर्धारित होगी।)

7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	: योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान या इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि अथवा निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय में इसके समकक्ष: (1) कृषि (2) वनस्पति विज्ञान (3) रसायन विज्ञान (4) कम्प्यूटर अनुप्रयोग/कम्प्यूटर विज्ञान (5) इंजीनियरिंग (कृषि/रसायन/सिविल/कम्प्यूटर/इलैक्ट्रिकल/इलैक्ट्रॉनिक्स/मैकेनिकल) (6) पर्यावरणीय विज्ञान (7) वानिकी (8) भू-विज्ञान (9) बागवानी (10) गणित (11) सांख्यिकी (12) भौतिकी (13) पशु चिकित्सा विज्ञान (14) जीव विज्ञान	अनुभव : नहीं																
		वांछनीय																	
		शारीरिक मापदंड: 1. शारीरिक मापदंड 2(क) प्रत्याशियों के लिये ऊंचाई तथा छाती माप हेतु न्यूनतम मापदंड निम्न प्रकार होंगे: <table><tr><td></td><td>लम्बाई</td><td colspan="2">छाती का माप</td></tr><tr><td></td><td></td><td>सामान्य</td><td>फैलाव</td></tr><tr><td>पुरुष</td><td>163</td><td>84</td><td>05</td></tr><tr><td>महिला</td><td>150</td><td>79</td><td>---</td></tr></table>		लम्बाई	छाती का माप				सामान्य	फैलाव	पुरुष	163	84	05	महिला	150	79	---	अनुभव : लागू नहीं
	लम्बाई	छाती का माप																	
		सामान्य	फैलाव																
पुरुष	163	84	05																
महिला	150	79	---																
		अनुसूचित जनजाति तथा आसामी, भूटानी, गढ़वाली, गोरखा, कुमाऊं, लद्दाखी, मिजो, नागा, नेपाली, सिक्किमी और अरुणाचल प्रदेश, लाहोल एवं स्पिति, मेघालय प्रजातियों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम लम्बाई मानक अनुमत होंगे : <table><tr><td>पुरुष</td><td>152सेमी0</td></tr><tr><td>महिला</td><td>145सेमी0</td></tr></table> 2(ख) पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों के लिये 25/16 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर चार घंटों में पूरी करना अनिवार्य है।	पुरुष	152सेमी0	महिला	145सेमी0													
पुरुष	152सेमी0																		
महिला	145सेमी0																		

			योग्यता मानक टीप: यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति या जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।	अनुभव मानक टीप : अन्यथा सुयोग्य म्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के ववेक पर शिथिलनीय है।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	आयु: लागू नहीं शैक्षणिक योग्यता: लागू नहीं	
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष	
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	:	लागू नहीं	
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	विभागीय पदोन्नति समिति— लागू नहीं	विभागीय स्थाईकरण समिति 1. सचिव, (पर्या0 एवं वन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार— (अध्यक्ष) 2. पीसीसीएफ— (सदस्य) 3. निदेशक (पर्यावरण)— (सदस्य)
13.	वे परिस्थितियों जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।	

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
 के आदेश से और उनके नाम पर,
 विजय कुमार बिधुड़ी, सचिव (पर्या0 एवं वन)

DEPARTMENT OF FOREST AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 21st January, 2026

F. No. 1(55)/DCF(HQ)/Estt/RRWLI/2018/14667.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with Government of India, Ministry of Home Affairs' Notification No. F.27/59-Him (i) dated the 13th July 1959, and in supersession of all previous notifications to this effect, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Wildlife Inspector, Group B post (Non-gazetted, Non-Ministerial) in the Department of Forests & Wildlife, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

Short title and commencement:

(i) These rules may be called Govt. of National Capital Territory Department of Forests & Wildlife, Wildlife Inspector, Group B (Non-gazetted, non-ministerial) post in the Department of Forests & Wildlife, Recruitment Rules, 2025.

(ii) They shall come in force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and Level in Pay Matrix:

The number of the said posts, their classification and the level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, Age limit and other Qualifications etc: The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be specified in columns (6) to (13) of the said Schedule annexed to these rules.

4. Disqualification:

No person-

- (i) who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living; or
- (ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Hon'ble Lt. Governor Delhi may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to Relax:

Where the Hon'ble Lt. Governor, Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax in any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving:

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1	Name of the post	Wildlife Inspector	
2	Number of post	09* (2025) (subject to variation dependent on workload)	
3	Classification	General Central Service, Group-'B' Non-Gazetted, non-ministerial	
4	Pay Band and Grade Pay/Scale of pay	Level-6 in the Pay Matrix of 7 th CPC (Rs.35400-112400)	
5	Whether Selection post or non-selection post	Not applicable	
6	Age limit for direct recruitment	Not exceeding 30 Years (relaxable for govt. servants upto 5 years in accordance with instructions or orders issue by Central Govt. The crucial date for determining the age-limit shall be as prescribed by the DSSSB.	
7	Educational and other qualifications required for direct recruitments	Qualification: Bachelors Degree in Science or Engineering from any recognized university or its equivalent in any of the following subjects: <ul style="list-style-type: none"> (i) Agriculture (ii) Botany (iii) Chemistry (iv) Computer Applications/Computer Science (v) Engineering (Agriculture/Chemical/Civil/Computer/Electrical/Electronics/Mechanical) (vi) Environmental Science (vii) Forestry (viii) Geology 	Experience : NA

		(ix) Horticulture (x) Mathematics (xi) Statistics (xii) Physics (xiii) Veterinary Science (xiv) Zoology																					
		Desirable																					
		<p>Physical Standards</p> <p>1. Physical Standards 2(a) The minimum standard for height and chest girth for candidates shall be as follows:</p> <table><tr><td></td><td>Height (cm)</td><td colspan="2">Chest Girth (cm)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Normal</td><td>Expansion</td></tr><tr><td>Male</td><td>163</td><td>84</td><td>05</td></tr><tr><td>Female</td><td>150</td><td>79</td><td>-</td></tr></table> <p>The following minimum height standards may be allowed in case of candidates belonging to Scheduled Tribes and races such as Assamese, Bhutanese, Garhwali, Gorkhas, Kumaonis, Ladakhi, Mizo, Naga, Nepalese, Sikkimese and those from Arunachal Pradesh, Lahaul & Spiti, Meghalaya:</p> <table><tr><td>Male</td><td>152 cm</td></tr><tr><td>Female</td><td>145 cm</td></tr></table> <p>2 (b) Male/ Female Candidates must pass a physical test covering a distance of 25/ 16 Kms within four hours on foot, respectively.</p>		Height (cm)	Chest Girth (cm)				Normal	Expansion	Male	163	84	05	Female	150	79	-	Male	152 cm	Female	145 cm	<p>Experience : NA</p>
	Height (cm)	Chest Girth (cm)																					
		Normal	Expansion																				
Male	163	84	05																				
Female	150	79	-																				
Male	152 cm																						
Female	145 cm																						
		<p>Qualification Standard Note: Qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belongings to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stages of selection the Competent Authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	<p>Experience Standard Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p>																				

8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Age: NA Edu. Qual. NA	
9	Period of probation, if any	2 years	
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	100% Direct Recruitment	
11	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Not Applicable	
12	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	DPC- NA	Departmental Confirmation Committee: 1. Secretary (Environment and Forest) GNCTD (Chairman) 2. PCCF (Member) 3. Director (Environment) (Member)
13	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment	Consultation with UPSC is not necessary.	

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi
VIJAY KUMAR BIDHURI, Secy. (E&F)